



35/1

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 304 / 28 / 76 / एक / 2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-गाजियाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिडिके बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	326.195

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० लोनी	वार्ड नं०-27 के अंतर्गत मौ० आदेश नगर में चिरौड़ी मेन रोड से शिव मंदिर तक तथा हृदय लाल के मकान से कान्ती देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	10.516
2	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० लोनी	वार्ड नं०-41 के अंतर्गत मौ० पूजा कालोनी में भगत जी के मकान से रामदास के मकान तक, अनूप भड़ाना के मकान से अगवाल व डी०के० स्कूल से मिठाई लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	5.320
3	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० लोनी	मौ० न्यू आनन्द विहार भाग-1 में लीलू के मकान से एस०सी० मिश्रा के मकान तक, एस०सी० मिश्रा के मकान से देवी प्रसाद के मकान तक, देवी प्रसाद के मकान से सतीश भाटी के मकान तक, मंसर के घर से मुख्तार के घर तक एवं असरफ वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	13.056
4	गाजियाबाद	मु०अ०-37	न०पा०प० लोनी	मौ० गिरी मार्केट में डा० रंजित के मकान से रतनभाटी के मकान तक एवं किरणपाल सिंह के मकान से रामशरण के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	6.459
5	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० मोदीनगर	मौ० अम्बेडकर नगर में मंगूलाल के मकान से श्यामलाल के मकान तक, अनिल के मकान से पवन के मकान तक सोनिया के मकान से बबिता के मकान तक एवं ममता के मकान से सरस्वती के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	11.780



35/2

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
6	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० मोदीनगर	मौ० कृष्णा नगर (श्रीनगर) में विनोद के मकान से सोनी ब्यूटी पालेर तक एवं नरेन्द्र के घर से हेमन्त के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	11.255
7	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती प्रताप नगर भाग-1 में संतोष शर्मा के मकान से पुलिस लाइन की दीवार तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	15.748
8	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती प्रताप नगर भाग-2 में पब्लिक स्कूल से संतोष शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	13.724
9	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती प्रताप नगर भाग-3 में संतोष से राधे के मकान तक, दीनानाथ गुप्ता से राम के मकान तक, दुर्गा मन्दिर से सौहनपाल के मकान तक व हल्वाई की दुकान से कैला देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	13.942
10	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती विष्णु इन्कलेव भाग-1 में सुनील के मकान से कौशिक के मकान तक, सतवीर से महेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	11.442
11	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती विष्णु इन्कलेव भाग-2 में राजकुमार के मकान से रामकिशन के मकान तक, राजकुमार के मकान से नीलू के मकान तक व अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	16.282
12	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती विष्णु इन्कलेव भाग-3 में मनवीर के मकान से विवेक के मकान तक, मनवीर के मकान से दीक्षित के मकान तक, सुरेशचन्द के मकान से पुरुषोत्तम के मकान तक, मेन रोड से राजेश के मकान तक, मेन रोड से दाउ के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	12.024
13	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-56 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती गंगा पुरम भाग-1 में ब्यूटिपार्लर से पूनम के मकान तक, मेन रोड से ज्ञानेन्द्र के मकान तक, मेन रोड से हरिओम के मकान तक व अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	9.595



35/3

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
14	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-58 के अंतर्गत अल्पविकसित/मलिन बस्ती गंगा पुरम भाग-2 में सुरेश के मकान से सरदार के मकान तक, कमला के मकान से सरदार के मकान तक व रामप्रसाद वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	8.065
15	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-50 के अंतर्गत मलिन बस्ती चमन कालोनी भाग-ए में अजीत से मुकेश के मकान तक, फूलमती के मकान से विनोद के मकान तक, वर्मा के मकान से सयिन के मकान तक, जगमाल के मकान से गुप्ता के मकान तक, नीरमला के मकान से धर्मवीर के मकान तक, धर्मवीर के मकान से श्यामलाल के मकान तक, प्रकाश के मकान से भरोसेलाल के मकान तक, अशोक के मकान से दुल्लीचन्द्र के मकान तक एवं आदि गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	15.516
16	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-50 के अंतर्गत मलिन बस्ती चमन कालोनी भाग-बी में सिहानी रोड से उमेश त्यागी चतरसिंह से सुरेन्द्र के मकान तक राकेश से सविता के मकान तक, राकेश से राजेश के मकान तक, मुकेश से राजेश के मकान तक एवं आदि गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	15.476
17	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-50 के अंतर्गत मलिन बस्ती चमन कालोनी भाग-सी में श्रीपाल से सन्तू के मकान तक, पीरवाली गली, सन्तू से जगदीश के मकान तक, सन्तू से चमन के मकान तक, कानों से ईदगाह तक, बेबी से पीरवाली गली तक एवं आदि गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	13.510
18	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-50 के अंतर्गत मलिन बस्ती चमन कालोनी भाग-डी में किरण से रामकुमार के मकान तक, जयप्रकाश से इन्द्रपाल के मकान तक, दीपक वाली गली से रोहताश वाली गली तक जगदीश से दिनेश के मकान तक, दिनेश से चतरसिंह के मकान तक, राजेन्द्र से इन्द्रपाल के मकान तक, चन्द्रसिंह से रामकिशन के मकान तक, सतवीर से राकेश के मकान तक, राकेश से आशिष के मकान तक एवं आदि गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	14.346
19	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-2 के अंतर्गत बुद्ध विहार विजयनगर में सतपाल के मकान से हरकेश के मकान तक, सुरेश से रमेश, मंजू से सुरेश व शौराज से निरंजन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	15.868



35/14

# राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
20	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-7 के अंतर्गत खैराती नगर (बागू) भाग-डी में रामफल से कैलाश के मकान तक, अली से दिनेश, ब्रजलाल से दिनेश, दीपक से डिगम्बर पानू से जीत सिंह के मकान तक, नगेन्द्र से हरि, हरिश से ओमप्रकाश तथा जितेन्द्र के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	16.006
21	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-49 के अंतर्गत पूर्वांचल कालानी भाग-ए में गोलू के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक, सोहनवीर से लीलावती, महेन्द्र से सीताराम, कमल से बालमसिंह, टिकू से रामवृक्ष तथा संजस के मकान से बी०एस०बी० स्कूल तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	15.872
22	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-47 के अंतर्गत महेन्द्रा एनकलेव भाग-1 में रामू से सीमा के मकान तक तथा मेन रोड से छत्रपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	5.792
23	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-38 के अंतर्गत चित्रकूट अर्थला (संजय कालोनी) में अमरीश से राजवीर के मकान तक, संजय से गजेन्द्र, राजीव से धीरसिंह, पप्पू से हरि, अश्वनी से छंगा तथा छंगा से जिले सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	14.102
24	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०नि० गाजियाबाद	वार्ड नं०-7 के अंतर्गत खैराती नगर (बागू) भाग-एफ में एस०के० बिल्डर्स से मोमराज के मकान तक, विमल से सुरेन्द्र, चर्च से मिन्दू, जोगेन्द्र से रामफल एवं जोगेन्द्र से मोमराज के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	13.248
25	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०पा०५० लोनी	पंचशील कालोनी में सुनील से देशराज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.790
26	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०पा०५० लोनी	खुशहल विहार में दलीप से गणेश के मकान तक, सोनू से विनोद के मकान तक, कमलेश से सब्बीर के मकान तक, कमलेश से श्याम कुमार के मकान तक, देवेन्द्र से सन्तोष के मकान तक, सन्तोष से रमेश के मकान तक, शमसेर से रामआसरे के मकान तक, राजेन्द्र से शकीला के मकान तक, रमेश से बालकिशन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.171



35/5

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
27	गाजियाबाद	म०ब०-83	न०पा०प० लोनी	सन्तनगर भाग-14 में हरवीर सिंह से विनय कश्यप के मकान तक, श्रीराम से गुड्डी के मकान तक, सुलेमान से सुरेश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	11.290
	योग				326.195

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूबा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



35/6

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक